

प्र. सं. 2019/00177

26.12.19
वेपकीने (का)
4 व 11
के खिलाफ
जुई दाद
गदी बाधता
है।
मह

पत्रावली पेश हुई कायदा शायी उपस्थित
प्रकरण में विपक्षी कृष्णक 4 व 11 की अदम्यता
प्राप्त हुई जिसके विरुद्ध कोई दाद गदी-यादी
गयी बाकि सभी विपक्षी आवजुड सूचना
के उपस्थित गदी वैन से एक वरणा
व्यापवादी का आदेश दिमा जाता है
शायी का शायी पर अन्तर्गत धारा
128 LR Act स्वीकार किया जाता है
कि 500RS वगैरे कमिशनर जिस का अग्रत
करते वथा राजकोष में 200RS जमा
होने पर गाम मोरुन्दा की काराजीन.

$\frac{999}{0.44\text{€}}$ $\frac{1000}{0.37\text{€}}$ $\frac{1005}{0.40\text{€}}$ $\frac{1006}{0.14\text{€}}$ $\frac{1007}{1.09\text{€}}$

$\frac{1418}{0.03\text{€}}$ $\frac{1422}{0.16\text{€}}$ $\frac{1423}{0.73\text{€}}$

कुल मिला 8 अकवा 3.36 है भी पत्थल
गनी हेतु वदजीकदा शायी को आदेश
दिमा जाता है पालनार्थ नदर का हुमनाम
जारी है पत्रावली फेल्ल अमा होमल नक्कर से कर है।



Signature
26/12/19

अहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी,
सयपर (भीलवाडा).

